v/;k;&III % jkT; mRikn

3-1 ys[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2006–07 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 3,404 मामलों में 167.09 करोड़ रुपये की राषि के राजस्व का अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	Js.kh	ekeyksa dh la[;k	jkf'k
1.	न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया जाना	12	48.83
2.	उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से होना	1,891	46.10
3.	अनुज्ञप्तियों का विस्तार नहीं किया जाना	181	3.03
4.	दुकानों की अनुचित बन्दोबस्ती	50	1.53
5.	स्पिरीट के कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	4	0.47
6.	अनधिकृत रियायत के कारण अदेय वित्तीय लाभ	14	0.41
7.	अग्रिम फीस की वसूली नहीं होना	21	0.23
8.	अन्य मामले	1,231	66.49
dqy		3]404	167-09

वर्ष 2006–07 की अवधि में विभाग ने 258 मामलों में अन्तर्निहित 48.15 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया इसमें से 246 मामलों में अन्तर्निहित 37.36 करोड़ रुपये वर्ष 2006–07 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान बतलाये गये थे। विभाग ने 15 लाख रुपये की वसूली की।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 80.86 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैं:

3-2 U;wure xkjaVh dksVk dk mBko ugha fd;s tkus ds dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत बिक्री अधिसूचना के षर्त–19 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को माह के दौरान संपूर्ण न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव करना है, इसमें विफल रहने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है अथवा उसके अनुज्ञप्ति को बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत निरस्त किया जाना है। पुनः जनवरी 2005 से प्रभावी बिहार उत्पाद (देषी षराब/मसालेदार देषी षराब के खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2004 के नियम 26(1) में 2.50 रुपये प्रति लन्दन प्रूफ लीटर (एल0 पी0 एल0)[1] के दर पर निर्गमन फीस जमा करने के बाद ही षराब के उठाव हेतु पास प्राप्त करने का प्रावधान है।

3-2-1 सात उत्पाद जिलों[2] में फरवरी एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि उत्पाद दुकानों के खुदरा अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया जिसमें 48.26 करोड़ रुपये के राजस्व सन्निहित थे (परिषिष्ट–I), जिसकी गणना संबंधित दुकानों हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर की गई। विभागीय प्राधिकारियों ने अनुज्ञप्तियों को निरस्त नहीं किया तथा चार उत्पाद जिलों के दुकानों के मामले में मात्र 28.10 लाख रुपये का जुर्माना आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 47.98 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

3-2-2 पाँच उत्पाद जिलों[3] में मार्च एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि देषी षराब/मषालेदार देषी षराब दुकानों के खुदरा विक्रेता समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2005–06 के लिये निर्धारित 66.71 लाख एल0 पी0 एल0 के न्यूनतम गारंटी कोटा के विरूद्ध 32.54 लाख एल0 पी0 एल0 का उठाव किया। 34.17 लाख एल0 पी0 एल0 षराब का उठाव नहीं किये जाने के फलस्वरूप निर्गमन फीस के रूप में 85.44 लाख रुपये की हानि हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से होने का मुख्य कारण उच्च न्यूनतम गारंटी कोटा एवं अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण किये जाने के कारण उत्पाद दुकान अलाभकारी हो जाने को ठहराया (अक्तूबर 2007)। उत्तर मान्य नहीं थे, क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने से संबंधित है जिसके कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई, न कि उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से किये जाने पर, जैसा कि जवाब दिया गया था।

3-3 mRikn nqdkuksa dh cUnkscLrh

बिहार उत्पाद अधिनियम तथा इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की वार्षिक बन्दोबस्ती, उत्पाद आयुक्त द्वारा पूर्व में स्वीकृत रिजर्व फीस तथा इस प्रयोजन हेतु जारी बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार, सार्वजनिक नीलामी के आधार पर किया जाना है। जब स्वीकृत फीस प्राप्त न हो तो उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन से

---

[1] अल्कोहल की षक्ति 'डिग्री प्रूफ' में मापी जाती है, अल्कोहल की शक्ति, जिसके 13 भाग का वजन, 51 डिग्री फारेनहट पर जल के 12 भाग के वजन के ठीक–ठीक बराबर हो उसे 100 डिग्री प्रुफ निर्दिष्ट किया जाता है। अल्कोहल का दिये गये नमूना का आभासी आयतन को अल्कोहल के आयतन में बदले जाने पर, जिसकी शक्ति 100 डिग्री हो, को एल0पी0एल0 कहा जाता है।

[2] अररिया–सह–किषनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–षेखपुरा, पूर्णिया एवं रोहतास–सह–कैमूर

[3] भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–षेखपुरा, पूर्णिया एवं रोहतास– सह–कैमूर

जिला समाहर्त्ता अपने विवेक से उससे कम फीस पर, जो पिछले तीन वर्षों के रिजर्व फीस के औसत का 10 प्रतिषत से बढ़ोतरी की गई राषि से कम न हो, दुकानों की औपबंधित बन्दोबस्ती कर सकता है। दुकानों के अबन्दोबस्त रहने पर, जून 1995 में पुनः जारी विभागीय अनुदेष के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में शराबों की आपूर्ति अपने प्रबंधन के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित करना था। अबन्दोबस्त दुकानों के विभागीय संचालन से संबंधित जून 1995 का अनुदेष अक्तूबर 2003 में हालाँकि इस निर्देष के साथ वापस ले लिया गया था कि सभी जिला समाहर्त्ता बन्दोबस्ती वर्ष के प्रारम्भ में अलाभकारी दुकानों की स्थिति की समीक्षा कर दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु लाभकारी दुकानों के साथ सम्मिलित करेंगे। विभागीय संचालन का प्रावधान अप्रैल 2005 में केवल 10 जिलों[4] के लिये पुनः बहाल की गई थी।

उत्पाद दुकानों के बन्दोबस्ती से संबंधित प्रावधानों में एक संषोधन (जनवरी 2005) द्वारा विभाग ने राजस्व के हित में एक से अधिक समूह की व्यवस्था के साथ अवर प्रमंडलीय स्तर पर मुख्यतः एक लॉट में सभी दुकानों का समूहीकरण कर देषी षराब/मसालेदार देषी षराब के खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती की नीति को अपनाया। बिक्रय अधिसूचना की शर्त 6 पुनः यह प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती उत्पाद वर्ष (पहली अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च तक) के शुरूआत से पहले हो जानी चाहिए। सामान्यतः अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती एक वर्ष के लिये होनी चाहिए, जिसे तीन वर्षों तक के लिये विस्तारित/नवीकरण किया जा सकता है।

बिहार उत्पाद अधिनियम यह भी प्रावधित करता है कि उत्पाद राजस्व के सभी बकाए उस व्यक्ति से वसूल की जा सकती है जो प्राथमिक तौर पर कुर्की[5] या अपने चल संपति की बिक्री द्वारा इसके भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं अथवा विहित प्रक्रिया द्वारा राजस्व के बकाए की वसूली करनी है।

3-3-1 mRikn nqdkuk dk foyEc ls cUnkcLrh fd;k tkuk

दस उत्पाद जिलों[6] में मई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह देखा गया कि एक से 11 महीने बीत जाने के बाद 219 देषी षराब, 153 मसालेदार देषी षराब एवं 75 भारत निर्मित विदेषी षराब की दुकानों की बन्दोबस्ती की गई थी। यद्यपि ये दुकानें बन्दोबस्ती की तिथि तक विभागीय तौर पर संचालित किये जा सकते थे, लेकिन इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस प्रकार दुकानों को विलम्ब से बन्दोबस्ती के साथ–साथ विभागीय तौर पर संचालित नहीं किये जाने के कारण सरकार को 11. 85 करोड़ रुपये (परिषिष्ट–II) के राजस्व की हानि हुई ।

मामले इंगित किये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षक, छपरा ने मई 2006 में बतलाया कि देषी षराब/मसालेदार देषी षराब की दुकानों की बन्दोबस्ती सुनिष्चित करने हेतु भारत निर्मित विदेषी शराब की दुकानों की बन्दोबस्ती को स्थगित कर दिया था, जबकि षेष उत्पाद सहायक/उत्पाद अधीक्षकों ने मई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच कहा कि डाककर्त्ताओं के अनुपलब्धता के कारण दुकानों की बन्दोबस्ती में विलम्ब हुआ था। उत्पाद अधीक्षक, छपरा का जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि अधिनियम/नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावे देषी षराब/मसालेदार देषी षराब के दुकानों के विभागीय संचालन हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे तथा भारत निर्मित विदेषी शराब

---

4 अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सारण एवं पष्चिमी चम्पारण।

5 राजस्व या अन्य बकायों के भुगतान प्राप्त करने हेतु सम्पत्ति को जब्त किये जाने हेतु प्राधिकृत करने का अधिपत्र (वारंट)

6 अररिया–सह–किषनगंज, भागलपुर–सह–बाँका, छपरा, गया, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई– सह–लखीसराय–सह–षेखपुरा, पटना, रोहतास–सह–कैमूर एवं सिवान

के दुकानों के मामले में उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन के प्रत्याषा में रिजर्व फीस को घटाना चाहिये था तथा दुकानों की बन्दोबस्ती करनी चाहिए थी।

3-3-2 nqdkuksa dk vcUnkscLr iM+s jguk

आठ उत्पाद जिलों[7] में जुलाई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि नीलामी पर रखे गये 57 देषी षराब, 22 मसालेदार देषी षराब तथा 25 भारत निर्मित विदेषी षराब की दुकानें वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान अबन्दोबस्त पड़े थे तथा उनका विभागीय तौर पर संचालन भी नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप उत्पाद षुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 8.03 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिषिष्ट–III)।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्तूबर 2007 में बतलाया कि संरचना, स्थान एवं कर्मियों के अभाव में अबन्दोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दुकानों की बन्दोबस्ती कर राजस्व की वसूली के लिये विभागीय संचालन हेतु अनुदेष निर्गत करने के समय सरकार को सभी संरचना मुहैय्या करानी चाहिये थी।

3-3-3 fujLrhdj.k ds ckn nqdkuksa dk vcUnkscLr iM+s jguk

सात उत्पाद जिलों[8] में जुलाई 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह देखा गया कि विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान नहीं करने तथा न्यूनतम गारंटी कोटा के कम उठाव के कारण अप्रैल 2002 एवं दिसम्बर 2005 के बीच 31 देषी षराब, नौ मसालेदार देषी षराब एवं 20 भारत निर्मित विदेषी शराब की दुकाने निरस्त कर दी गई थी। इन निरस्त दुकानों के विभागीय प्रबंधन हेतु कोई पहल भी नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2.28 करोड़ रुपये की उत्पाद षुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस की हानि हुई (परिषिष्ट–IV)।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

3-3-4 Qhl dk vuqfpr fu/kkZj.k

पाँच उत्पाद जिलों[9] में जनवरी एवं जुलाई 2007 के बीच यह देखा गया कि बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार 42 भारत निर्मित विदेषी षराब के दुकानों के लिए 2005–06 अवधि के लिए रिजर्व फीस 1. 93 करोड़ रुपये निर्धारित किया जाना था। हालाँकि यह मात्र 1.55 करोड़ रुपये ही निर्धारित किया गया था। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों के औसत रिजर्व फीस के 10 प्रतिषत से बढ़ी राषि से भी कम पर रिजर्व फीस निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, रिजर्व फीस के अनुचित निर्धारण के कारण सरकार को 38.10 लाख रुपये की हानि हुई।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

---

[7] अररिया–सह–किषनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह –षेखपुरा, पटना, पूर्णिया एवं रोहतास–सह–कैमूर

[8] गया, कटिहार, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–षेखपुरा, पटना, पूर्णिया, रोहतास–सह–कैमूर एवं समस्तीपुर

[9] अररिया–सह–किषनगंज, गया, मधेपुरा, पटना एवं पूर्णिया

3-3-5 n|dkuk dh vu|fpr cUnkcLrh

पाँच उत्पाद जिलों[10] में अगस्त 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच यह पाया गया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये भारत निर्मित विदेषी षराब की दुकानों को समूह में बन्दोबस्त करने का फैसला लिया एवं 7.76 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली की। हालाँकि, वर्ष 2004–05 के दौरान 9.29 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली हुई थी जबकि दुकानों को अलग–अलग बन्दोबस्त किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2005–06 में राजस्व की वसूली 1.53 करोड़ रुपये कम हुई थी। दुकानों को समूह में बन्दोबस्त करने हेतु लिया गया निर्णय इस प्रकार राजस्व के हित में साबित नहीं हुआ और कम से कम 1.53 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

3-4 vf/kfu;e@fu;ek d Áko/kkuk dk ykxw djus e pd

बिहार उत्पाद (देषी षराब/मषालेदार देषी षराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती) नियमावली के अनुसार एक दुकान अथवा दुकानों के समूह की अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती हेतु नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति, भाग लेने के पूर्व निर्धारित रिजर्व फीस के बारहवें हिस्से के समतुल्य अग्रिम राषि जमा करेगा। बिहार उत्पाद अधिनियम प्रावधित करता है कि अधिनियम के तहत स्वीकृत किसी भी अनुज्ञप्ति के धारक इसके अभ्यर्पण की मंषा हेतु जिला समाहर्त्ता को लिखित रूप से दिए गए सूचना के एक महीने की समाप्ति के बाद उस पूरी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्तियाँ चालू रहती लेकिन वैसी अभ्यर्पण की गई, के लिए भुगतेय रिजर्व फीस का भुगतान कर अभ्यर्पण कर सकता है।

भोजपुर उत्पाद जिला में यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि दुकानों के तीन समूह (आरा सदर, पीरो एवं जगदीषपुर) के लिए अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती अप्रैल एवं जुलाई 2005 के बीच जिन डाककर्त्ता के साथ की गई थी उन्होंने नीलामी में भाग लेने के पहले अग्रिम राषि जमा नहीं किया था। दुकानों के इन तीन समूह ने बाद में अपनी अनुज्ञप्ति क्रमषः 31 दिसम्बर 2005, 31 जनवरी 2006 एवं 30 सितम्बर 2005 को अभ्यर्पित कर दिया था। हालाँकि पूरी अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्तियाँ चालू रहती लेकिन ऐसी अभ्यर्पण के कारण अनुज्ञप्ति फीस वसूल किये बिना अनुज्ञप्तियों के अर्भ्यपण को स्वीकार कर लिया गया। इसके फलस्वरूप 3.47 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि नीचे दिया गया हैः

¼djkM #i;s e½

leg dk uke	vH;iZ.k dh frfFk	vuKfIr;k pkyw jgrh ysfdu vH;fiZr dj fn;s tkus dh vof/k	olwy ugh dh xbZ jkf'k		
			vfxze jkf'k	Qhl	;kx
आरा सदर	31.12.2005	1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2006	47.50	142.50	190.00
पीरो	31.01.2006	1 फरवरी 2006 से 31 मार्च 2006	14.26	28.52	42.78
जगदीशपुर	30.09.2005	1 अक्तूबर 2005 से 31 मार्च 2006	16.33	98.00	114.33
dqy			78-09	269-02	347-11

मामला इंगित किये जाने के बाद संबंधित सहायक उत्पाद आयुक्त ने अगस्त 2006 में बतलाया कि छानबीन के पश्चात् आवष्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह उत्तर

[10] अररिया–सह–किषनगंज, भागलपुर–सह–बाँका, भोजपुर–सह–बक्सर, गया एवं मोतिहारी

मान्य नहीं है क्योंकि बिना अग्रिम राषि की वसूली एवं तदन्तर बिना बकाए की वसूली किये अनुज्ञप्तियों के अभ्यर्पण को स्वीकार किया जाना अनियमित था।

3-5 vuKfIr;ksa dk foLrkj ugha fd;k tkuk

बिहार उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, के अनुसार देषी षराब, मषालेदार देषी षराब एवं भारत निर्मित विदेषी षराब के दुकान की बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियाँ, उत्पाद वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले, जिला समाहर्ता द्वारा नीलामी द्वारा वार्षिक बन्दोबस्ती की जानी है। लोक सभा चुनाव (फरवरी 2004) एवं आचार संहिता के लागू होने के कारण, उत्पाद वर्ष 2004–05 के लिए दुकानों की वार्षिक बन्दोबस्ती तीन महीनों (अप्रैल 2004 से जून 2004) तक रोक दी गई थी। पुनः बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार सरकार को यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी समय वह अनुज्ञप्ति के अवधि का परिवर्तन कर सकती है और अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करना बाध्य होगा।

आठ उत्पाद जिलों[11] में जनवरी एवं जुलाई 2007 की बीच यह पाया गया कि वर्ष 2003–04 के दौरान निर्गत अनुज्ञप्तियों, जो मार्च 2004 तक वैध थे, के विस्तार हेतु यद्यपि मार्च 2004 में उत्पाद आयुक्त ने अनुदेष जारी कर दिए थे, फिर भी उत्पाद आयुक्त के अनुदेष के अनुसार 75 देषी षराब, 53 मषालेदार देषी षराब और 53 भारत निर्मित विदेषी षराब दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने अनुज्ञप्ति को तीन महीनों (अप्रैल से जून 2004) के लिए विस्तारित नहीं कराया था। जहाँ अनुज्ञप्ति को विस्तारित नहीं किया गया, वहाँ शराब के आपूर्ति हेतु एवं अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध बिक्री के अधिसूचना के षर्तों को पूरा करने के लिए कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप 3.03 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिषिष्ट–V)।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

3-6 jktLo dh olwyh ugha@gkfu gksuk

बिहार उत्पाद अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों में प्रावधान है कि सफल डाककर्त्ता को अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस की आवष्यक राषि का भुगतान तुरन्त करना है, जिसमें विफल रहने पर बन्दोबस्ती रद्द तथा जमानत राषि जब्त कर ली जायेगी। प्रत्येक वर्ष उत्पाद दुकानों की बिक्री हेतु जारी अधिसूचना यह अनुबंधित करता है कि जब किसी भी दुकान के डाक की बोली पूर्ण हो जाती है एवं कभी भी इन दुकानों की बन्दोबस्ती कम राषि पर करने की आवष्यकता होने अथवा बिक्री के समय राषि का भुगतान करने में विफल रहने के फलस्वरूप इसे अबन्दोबस्त रखे जाने पर सरकार को हुई किसी प्रकार की हानि के लिए क्रेता उत्तरदायी है। पुनः उक्त अधिसूचना, नीलामी में भाग लेने के पूर्व दुकान के रिजर्व फीस के समतुल्य, जमानत राषि जमा करने हेतु भी प्रावधित करता है।

3-6-1 fLijhV nqdkuksa ds ifjpkyu ugha djus ds dkj.k gkfu

उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया के 2003–04 एवं 2004–05 के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान मार्च 2007 में यह पाया गया कि 29 देषी षराब/मषालेदार देषी षराब दुकान देय तिथि के अन्दर अर्थात उत्पाद वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही बन्दोबस्त कर दिये गये थे। उत्पाद अधीक्षक ने अगस्त 2003 एवं अक्तूबर 2004 के बीच अनुज्ञप्तियों को

---

[11] अररिया–सह–किषनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय– सह–षेखपुरा, पटना, पूर्णिया एवं रोहतास–सह–कैमूर

रद्द कर दिया था क्योंकि बन्दोबस्ती की तिथि से ही अनुज्ञप्तिधारियों ने षराब का एक भी मात्रा का उठाव नहीं किया था। दुकानों की पूर्नबन्दोबस्ती अथवा विभागीय परिचालन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके कारण 1.20 करोड़ रुपये (रक्षित षुल्क 36.22 लाख रुपये + उत्पाद शुल्क 83.43 लाख रुपये) के राजस्व की हानि हुई। बिक्री अधिसूचना के अन्तर्गत विहित षर्तों के अनुसार दोषी अनुज्ञप्तिधारियों से हानि की भरपाई हेतु की गई कार्रवाई भी अभिलेखों पर नहीं था।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

3-6-2 vfxze Qhl dk Hkqxrku esa pwd

चार उत्पाद जिलों[12] में जनवरी एवं जून 2007 के बीच यह पाया गया कि क्रेताओं, जिनका नौ देषी षराब, छः मषालेदार देषी षराब तथा छः भारत निर्मित विदेषी षराब के दुकानों हेतु डाक स्वीकार कर लिया गया था, नियमों के अन्तर्गत आवष्यक अग्रिम फीस जमा करने में विफल रहे एवं उसके फलस्वरूप अप्रैल 2002 एवं मार्च 2005 के बीच बन्दोबस्ती रद्द कर दी गई थी। ये दुकानें निरस्तीकरण की तिथि से वर्ष के अन्त तक अबन्दोबस्त रह गये, परिणामस्वरूप 24.92 लाख रुपये का अनुज्ञप्ति फीस की वसूली नहीं हुई। आंषिक भुगतान के समायोजन तथा एक भारत निर्मित विदेषी षराब दुकान (पटना) के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 1.56 लाख रुपये की जमानत राषि जमा करने के अलावे शेष 23.36 लाख रुपये (परिषिष्ट–VI) के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कोई कार्रवाई, जैसा कि नियमों के तहत किया जाना था, नहीं की गयी थी।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007)।

3-7 jktLo 'kh"kZ esa vfu;fer tek

भारत के संविधान के अनुच्छेद 284 प्रावधित करता है कि सभी धन (सरकारी राजस्व के अलावे) राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाना चाहिए। पुनः अनुच्छेद 266 निर्देषित करता है कि राज्य के समेकित निधि से कोई भी धन विधायिका के अनुमोदन के बिना विनियोजित नहीं किया जायेगा।

आठ उत्पाद जिलों[13] में यह पाया गया (जनवरी से जुलाई 2007) कि वर्ष 2002–03 से 2005–06 से संबंधित 23.04 करोड़ रुपये (परिषिष्ट–VII) की जमानत राषि – सिक्युरिटी डिपोजिट षीर्ष[14] के बदले राजस्व प्राप्ति षीर्ष[15] के अन्तर्गत अनियमित रूप से जमा की गई थी। चूँकि समेकित निधि में जमा की गई राषि को जब्त नहीं किया जा सकता है, विभाग भारत निर्मित विदेषी षराब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा चूक के कारण 87.67 लाख रुपये की जमानत राषि को जब्त करने में असमर्थ रह गया। इसके अलावे, जमानत राषि को राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत जमा किये जाने के फलस्वरूप राजस्व संग्रहण के आँकड़ों को बढ़ाकर दिखलाया गया।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा अक्तूबर 2007 में कहा कि जमानत राषि को राजस्व षीर्ष "0039 – राज्य उत्पाद"

---

12 अररिया–सह–किषनगंज, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–षेखपुरा, पटना एवं रोहतास–सह–कैमूर

13 अररिया–सह–किषनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय– सह–षेखपुरा, पटना, पूर्णिया एवं रोहतास–सह–कैमूर

14 '8443 – सिविल डिपोजिट'

15 '0039 – राज्य उत्पाद'

के बजाए षीर्ष "8443 सिविल डिपोजिट – सिक्युरिटी डिपोजिट" के अन्तर्गत जमा कराने हेतु सभी उत्पाद जिलों को निदेष जारी कर दिया गया है।

3-8 vklou xgksa ¼fMLVhyfjt½ }kjk 'kjkc dk de mBko@eksykl l s 'kjkc dh de ÁkfIr d s dkj.k jktLo dh gkfu

मोलासेज नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अनुसार बिहार राज्य में कारखानों द्वारा मोलासेज के उत्पादन की कीमत एवं भण्डारण, आपूर्ति एवं वितरण का नियंत्रण किया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया बिहार मोलासेज नियंत्रण (नियमावली), 1955 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक आसवन गृह आगामी 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाले बारह महीनों के दौरान मोलासेज की अपनी आकलित आवष्यकता संबंधी माँग–पत्र नियंत्रक को सौंपेगा (31 अक्तूबर तक)। माँग–पत्र के अनुसार तथा इसकी जाँच करने के उपरान्त नियंत्रक आसवन गृह के लिये मोलासेस का आवंटन करते हैं।

राजस्व पर्षद द्वारा जनवरी 2000 में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक आसवन गृह मालिक, शराब के उत्पादन के लिये खपत हुए मोलासेस में विद्यमान किण्वित षक्कर के प्रत्येक क्विंटल से कम से कम 92 एल0 पी0 एल0 शराब की न्यूनतम प्राप्ति बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसे सुनिष्चित करने हेतु आसवन गृह के उत्पाद पदाधिकारी द्वारा मोलासेस का मिश्रित नमूना लेना है तथा जाँच हेतु रासायनिक परीक्षक को भेजा जाना है।

3-8-1 भागलपुर एवं हाथीदह में दो आसवन गृहों के किण्वित शक्कर की मात्रा से संबंधित स्पिरीट उत्पादन पंजी, मोलासेस की खपत पंजी एवं रासायनिक परीक्षक के प्रतिवेदनों की संवीक्षा (सितम्बर 2006 एवं जुलाई 2007) से पता चला कि वर्ष 2005–06 के दौरान खपत हुये मोलासेस से षराब की न्यूनतम प्राप्ति बनाये रखने में आसवन गृह विफल रहे थे। इसके फलस्वरूप उत्पाद षुल्क के रूप में 43.39 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि नीचे दर्षाया गया हैः

o"kZ	vklou xg dk uke	vklfor eksykl l dh ek=k ¼fDoaVy e½	'kjkc dh vko';d U;wure Ákfir ¼,y0 ih0 ,y0 e½	'kjkc dh okLrfod Ákfir ¼,y0 ih0 ,y0 e½	deh ¼,y0 ih0 ,y0 e½	Áfr ,y0 ih0 ,y0 nj ¼रुपये e½	mRikn 'kqYd dh gkfu ¼yk[k रुपये e½
2005-06	मैक. डोवेल आसवन गृह, हाथीदह, पटना	69,392.71	17,19,316.31	16,80,198.50	39,117.81	100	39.12
2005-06	एस. सी. आई. आसवन गृह, रजौन, बाँका	31,405.00	8,82,748.29	8,70,554.60	12,193.69	35	4.27
dqy		**1,00,797.71**	**26,02,064.60**	**25,50,753.10**	**51,311.50**		**43.39**

मामला इंगित किये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षकों ने सितम्बर 2006 एवं जुलाई 2007 के बीच बतलाया कि अभिलेखों की जाँच के बाद कार्रवाई की जायेगी। उत्तर, हालाँकि लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने तक उत्पाद अधीक्षकों की निष्क्रियता के संबंध में मौन है।

3-8-2 सरकार ने हाथीदह के एक आसवन गृह को वर्ष 2005–06 के दौरान 1,35,720 क्विंटल मोलासेस का कोटा आवंटित किया, जिसके विरूद्ध आसवन गृह द्वारा 79,806.75 क्विंटल मोलासेस का उठाव किया तथा 55,913.25 क्विंटल षेष रह गया। मोलासेस में किण्वित षक्कर की विहित न्यूनतम मात्रा के अनुसार 11,182.65 एल0 पी0

एल0 षराब का कम उत्पादन हुआ तथा सरकार 11.18 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रह गया।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

3-9 jktLo d cdk;k dh olyh

3-9-1 ljdkjh jktLo dk vo:) gkuk

तीन उत्पाद जिलों[16] के अभिलेखों की मार्च एवं जून 2007 में की गई संवीक्षा से पता चला कि उत्पाद दुकानों के विभिन्न श्रेणियों के 101 अनुज्ञप्तियाँ हालाँकि वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान 1.73 करोड़ रुपये (परिषिष्ट–VIII) राषि की अग्रिम फीस जमा नहीं किये थे, जैसा कि प्रत्येक वर्ष निर्गत बिक्री अधिसूचना के अन्तर्गत करना आवष्यक था, फिर भी विभाग द्वारा नीलामवाद प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई, जिसके कारण राजस्व अवरूद्ध रह गया।

3-9-2 uhykeokn ekey nt dju e foyEc d dkj.k C;kt dh gkfu

लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अनुसार लोक माँग, जिससे नीलामवाद संबंधित है, पर ब्याज 12 प्रतिषत की वार्षिक दर से नीलामवाद हस्ताक्षर करने की तिथि से वसूली की तिथि तक लगाया जाना है। नीलामवाद मामले दर्ज करने में विलम्ब का प्रतिफल ब्याज के रूप में राजस्व की हानि होगी।

दो उत्पाद जिलों में जून एवं जुलाई 2007 में यह पाया गया कि वर्ष 1980–81 से 2003–04 से संबंधी बकाया माँग की राषि 21.84 लाख रुपये थी जिसके विरूद्ध विभाग ने नीलामवाद मामले एक से 22 वर्षों के विलम्ब से दायर किया था। इस प्रकार, नीलामवाद की कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण ब्याज के रूप में 36.31 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी जो नीचे वर्णित हैः

¼yk[k #i;s e½

mRikn ftyk d uke	ndkuk dh l0	mRikn jktLo l lcfa/kr o"k	uhykeokn ekey nk;j fd;s tku dk o"k	dy cdk;k	olfyr cdk;k	foyEc	12 Áfr'kr Áfr o"k dh nj l C;kt dh gkfu
मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–षेखपुरा	28	1980-81से 2000-01	2002-03 से 2003-04	20.97	शून्य	3 से 22 वर्ष	35.37
गया	2	1992-93 एवं 1994-95	1994-95 एवं 1995-96	0.87	शून्य	एक से दो वर्ष	0.94
dy	**30**			**21.84**			**36.31**

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

---

16 भोजपुर–सह–बक्सर, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–षेखपुरा एवं पूर्णिया

3-10 vH;fiir n|dkuks dk fy, u;s LFky dk igpku ugh fd;k tkuk

उत्पाद आयुक्त ने अक्तूबर 2003 में अनुदेष निर्गत किया था कि जो दुकान अंततः अबन्दोबस्त रह जाते हैं उनके अभ्यर्पण को समर्पित करने के प्रस्ताव के साथ उनके लिए नये लाभकारी स्थल के चयन का भी प्रस्ताव भेजना चाहिए।

गया उत्पाद जिला के अभिलेखों की जुलाई 2007 में की गई समीक्षा के दौरान देखा गया कि 11 देषी षराब के दुकान जो अबन्दोबस्त पड़े थे उनके अभ्यर्पण के प्रस्ताव को बगैर नये लाभकारी स्थल के अनुषंसा के दिसम्बर 2003 में स्वीकार किया गया। नये स्थल के प्रस्ताव के अभाव के फलस्वरूप वर्ष 2004–05 के दौरान 25.20 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा (वर्ष 2003–04 के न्यूनतम गारंटी कोटा पर शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर गणना की गई)।

मामले सरकार को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।